उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-40/2024/I/568683/तीस-3-2024

लखनऊ दिनांक 27 मई, 2024

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

श्री नरेश कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन)/आहरण वितरण अधिकारी, हमीरपुर सम्प्रति संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा नियमित रूप से कैश बुक का निरीक्षण एवं चालानों का सत्यापन नहीं किये जाने सम्बन्धी कृत के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1180/तीस-3-2021, दिनांक 18.06.2021 द्वारा प्रदत्त परिनिन्दा के दण्ड के विरुद्ध मा० राज्य लोक सेवा अधिकरण में निर्देश याचिका संख्या-1225/2021 नरेश कुमार वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गई।

2- मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 13.01.2023 को यह आदेश दिये गये कि प्रतिपक्षी द्वारा याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांकित 18.06.2021 (परिनिन्दा प्रविष्टि, अनुलग्नक ए-8) को निरस्त किया जाता है। निरस्त दण्डादेश अनुलग्न ए-8 से प्रभावित समस्त परिणामी सेवा लाभ प्राप्त का याची अधिकारी होगा। प्रतिपक्षी इस निर्णय/आदेश का अनुपालन, आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित करें। याचिका का व्यय उभय पक्ष अपना अपना स्वयं वहन करेंगे।"

2- मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के समादर में न्याय विभाग के परामर्श एवं तद्नुसार चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के सम्यक विचारोपरान्त श्री नरेश कुमार वर्मा, तत्कालीन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सम्प्रति सम्भागीय परिवहन अधिकारी को उनके कनिष्ठ की तिथि से सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर दिनांक 28.06.2021 से दिनांक 15.02.2023 की अवधि हेतु नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

3- चूंकि प्रश्नगत नोशनल अवधि में सम्भागीय परिवहन अधिकारी का नियमित पद उपलब्ध नहीं था। अतः शासनादेश संख्या-I/539986/तीस-3-2024, दिनांक 12.04.2024 द्वारा अधिसंख्य पद सृजित किया गया।

4- अतः परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री नरेश कुमार वर्मा, (ज्येष्ठता क्रमांक-148ए), तत्कालीन सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) सम्प्रति संभागीय परिवहन अधिकारी को नियमित चयनोपरान्त उनके आसन्न कनिष्ठ, श्री राजेश कुमार वर्मा (ज्येष्ठता क्रमांक-151), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि 28-06-2021 से 15-02-2023 की अवधि तक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ग्रेड वेतन रू०-7600/- पे- मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- श्री वर्मा द्वारा नोशनल अवधि में वास्तविक रूप से पदधारित नहीं किया गया तथा उस पद के सापेक्ष शासकीय कार्य सम्पादित नहीं किया गया है, अतएव श्री वर्मा को नोशनल अवधि का एरियर/भत्ते प्रदान किये जाने का अवसर नहीं है।

ह0/-
(एल० वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।

संख्या-40(1)/2024/।/568683(1)/तीस-3-2024, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज द्वारा परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
2- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
4- अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) उ०प्र० लखनऊ।
5- समस्त, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र)/संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त, उ०प्र०।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ०प्र० इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ०प्र० के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9- कार्मिक अनुभाग-1
10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।